RNI No. MAHBIL /2009/31730

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष १, अंक २०] **शनिवार, जुलै ४, २०१५/आषाढ १३, शके १९३७** **[पृष्ठे ३, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक ३०

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

–

कृषि, पशुपालन, दुग्धउद्योग विकास तथा मत्स्यउद्योग विभाग

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२,
दिनांकित २२ जून २०१५ ।

MAHARASHTRA ORDINANCE No. XV OF 2015.

AN ORDINANCE
TO AMEND THE MAHARASHTRA FISHERIES ACT, 1960.

महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक १५, सन् २०१५ ।

महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० में संशोधन करने संबंधी अध्यादेश ।

क्योंकि राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सत्र नही चल रहा है ;

और क्योंकि महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें, इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० में संशोधन करने के लिए सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है ;

सन् १९६१ का महा. १।

अब, इसलिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद २१३ के खण्ड (१) द्वारा, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्न अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं, अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भण।

१. (१) यह अध्यादेश महाराष्ट्र मछुवाही (संशोधन) अध्यादेश, २०१५ कहलाए ।

(२) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

सन् १९६१ का महा. १ की धारा ४ में संशोधन।

२. महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० की धारा ४ की, उप-धारा (१) के पश्चात्, निम्न उप-धारा निविष्ट की जायेगी, अर्थात् :— सन् १९६१ का महा. १।

" (१ क) राज्य सरकार, अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित कुल एक सौ हेक्टर्स तक आवेष्टित जल विस्तृत क्षेत्र, जलाशयों में निम्न स्थानिय प्राधिकरणों को मछली पकडने के अधिकारों की मंजूरी के लिये नियम बना सकेगी,—

(एक) यदि, ऐसे लघु जल निकाय एक **ग्राम सभा** की अधिकारिता के भीतर है, तब उसके ग्राम **पंचायत** के हो,

(दो) यदि, ऐसे लघु जल निकाय दो ग्राम **पंचायत** की अधिकारिता के भीतर है, तब पंचायत समिति के हो,

(तीन) यदि, ऐसे लघु जल निकाय दो **पंचायत समिति** से अधिक की अधिकारिता के भीतर है, तब **जिला परिषद** के हो :

परंतु, ऐसे लघु जल निकाय के संबंध में, अनुसूचित क्षेत्रों में उत्पन्न राजस्व, ग्राम निधि को विनियुक्त किया जायेगा और दो या अधिक **ग्राम पंचायतों** के बीच, यदि कोई हो समान भाग में विभाजित किया जायेगा, और उसे संबंधित **पंचायत** के क्षेत्र के विकास के लिये उपयोग में लाया जायेगा ।

स्पष्टीकरण.— " ग्राम सभा ", " पंचायत " और " अनुसूचित क्षेत्रों " की अभिव्यक्तियाँ, महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित अर्थान्तर्गत होंगी ; सन् १९५९ का ३।

(दो) " पंचायत समिति " और " जिला परिषद " अभिव्यक्तियाँ, महाराष्ट्र जिला परिषद और पंचायत समिति अधिनियम, १९६१ में उन्हें क्रमशः समनुदेशित अर्थान्तर्गत होंगी । "। सन् १९६२ का महा. ५।

वक्तव्य ।

महाराष्ट्र राज्य में मछुवाही की सुरक्षा, संरक्षण तथा विकास के लिए उपबंध करने के लिये, महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. १) अधिनियमित किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा ४, राज्य सरकार को, चयनित जलों में से मछुवाही के संरक्षण, प्रतिषेध तथा विनियमन के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करती है।

२. पंचायतों के उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार) अधिनियम, १९९६ (सन् १९९६ का ४०) " **पेसा** " के नाम से विख्यात अधिनियम, पंचायत के अनुसूचित क्षेत्रों में के लघु जल निकायों के समुचित स्तर की योजना तथा व्यवस्था करने के लिए सशक्त बनाता है ताकि, **ग्राम सभा** को संबंधित गाँव में दिन-प्रतिदिन के कामकाज समेत, लघु जल निकायों के प्रबंधन की अधिक शक्तियाँ सौंपी जा सकें। भारत सरकार के पंचायत राज मंत्रालय द्वारा गठित उप-समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर, महाराष्ट्र राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में **पेसा** के उपबंधों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, सरकार, महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० की धारा ४ में संशोधन करना इष्टकर समझती है, इस दृष्टि से, राज्य सरकार को, स्थानिय प्राधिकरण के अनुसूचित क्षेत्र में स्थित एक सौ हेक्टर क्षेत्र में आवेष्टित कुल जल क्षेत्र के जलाशय में मछली पकडने के अधिकारों की मंजूरी को सशक्त बनाती है, यदि ऐसे लघु जल निकाय (एक) एक **ग्राम सभा** के है, तब उसकी ग्राम **पंचायत** (दो) दो **ग्राम पंचायत**, तब उसकी **पंचायत समिति**, और (तीन) दो पंचायत समिति से अधिक है, तब उसकी जिला परिषद के अधिकारिता के भीतर होंगे, और यह भी प्रस्ताव किया गया है कि, संबंधित ऐसे लघु जल निकाय के संबंध में सृजित राजस्व ग्राम निधि को विनियोजित होगी और दो या अधिक ग्राम पंचायत के बीच यदि कोई हो, समान भाग में विभाजित किया जायेगा और वह संबंधित **पंचायत** के क्षेत्र के विकास के लिए उपयोग किया जायेगा ।

३. राज्य विधान मंडल के दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा है और महाराष्ट्र के राज्यपाल का समाधान हो चुका है कि, ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें उपर्युक्त प्रयोजनों के लिए, महाराष्ट्र मछुवाही अधिनियम, १९६० (सन् १९६१ का महा. १) में संशोधन करने के लिए, सद्यः कार्यवाही करना आवश्यक हुआ है, अतः यह अध्यादेश प्रख्यापित किया जाता है ।

मुंबई,
दिनांकित १९ जून २०१५।

चे. विद्यासागर राव,
महाराष्ट्र के राज्यपाल ।

महाराष्ट्र के राज्यपाल के आदेश तथा नाम से,

महेश पाठक,
शासन के सचिव ।

(यथार्थ अनुवाद),

डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.